



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-21012023-242149
CG-MH-E-21012023-242149

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2023/पौष 30, 1944

No. 321]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2023/PAUSHA 30, 1944

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

शुद्धिपत्र

मुंबई, 19 जनवरी, 2022

(इस अधिसूचना के प्रकाशन के बाद, पिछले ई-राजपत्र अधिसूचना संख्या 240858

दिनांक 05.12.2022 में प्रकाशित गलत विवरण तालिका A में दिया गया है

और इसका सही विवरण जो कि तालिका C में दिया जा रहा है, उपरोक्त सही

विवरण तालिका A में दिए गलत विवरण की जगह लेगा)

का.आ. 335(अ).— केन्द्रीय सरकार रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20'ए' के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के उस्मानाबाद जिले में "सोलापुर - तुलजापुर - उस्मानाबाद नई लाइन" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा करता हूँ।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपविभागीय अधिकारी, तालुका तुलजापुर, जिला उस्मानाबाद महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों कि सुनवाई करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आपत्तियों को अनुमति दें या अस्वीकार करें।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य व्यौरे उपलब्ध है और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के उस्मानाबाद जिले में विशेष रेल परियोजना “सोलापुर - तुलजापुर - उस्मानाबाद नई लाइन” के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

तालिका-A (गलत विवरण)								
अ.नं.	भू संपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वे न.	भू धारणा पद्धति	7/12 अनुसार कुलक्षेत्र (हे.आर. /चौ.मी.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर. /चौ.मी.)
		सुरतगाव						
११	22.07.21	सुरतगाव	तुलजापूर	अभिमन्यु नागनाथ काले	125	1	1.3400	0.5071
				बालकृष्ण नागनाथ काले			1.3400	
				ब्रह्मानंद नागनाथ काले			1.3300	
		हंगरगा तुल						
५	22.07.21	हंगरगा तुल	तुलजापूर	गणेश माणिकराव हंगरगेकर	33/1	1	2.4600	2.6335
				कुमार हरीचंद्र हंगरगेकर	33/2		2.4600	
				सतीश मनोहराव हंगरगेकर अजित सतिश हंगरगेकर	33/3		1.8200	
		मोरडा						
६	22.07.21	मोरडा	तुलजापूर	किसन भिमराव चव्हाण	144	1	0.8100	0.9877
				शिलाबाई माणिक चव्हाण			0.8100	
				शाहूराज माणिक चव्हाण				
				अलका संजय राठोड			0.9150	
				अंबादास वसंतराव चव्हाण			0.8100	
				सरस्वतीबाई वसंतराव चव्हाण योगेश वसंतराव चव्हाण चि. विवेक संजय राठोड			0.9150	

तालिका-A (गलत विवरण)								
अ.नं.	भू संपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वे न.	भू धारणा पद्धति	7/12 अनुसार कुलक्षेत्र (हे.आर./चौ.मी.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर./चौ.मी.)
७	22.07.21	मोरडा	तुलजापूर	किसन भिमराव चव्हाण	145	1	2.0700	1.0345
				शिलाबाई माणिक चव्हाण			2.0700	
				शाहूराज माणिक चव्हाण सर्जेराव भिमराव चव्हाण			2.0600	
				अंबादास वसंतराव चव्हाण सरस्वतीबाई वसंतराव चव्हाण योगेश वसंतराव चव्हाण			2.0700	

तालिका-C (सही विवरण)								
अ.नं.	भू संपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वे न.	भू धारणा पद्धति	7/12 अनुसार कुलक्षेत्र (हे.आर./चौ.मी.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर./चौ.मी.)
		सुरतगाव						
११	22.07.21	सुरतगाव	तुलजापूर	अभिमन्यु नागनाथ काले	125	1	1.3100	0.5071
				बालकृष्ण नागनाथ काले			1.3100	
				ब्रह्मानंद नागनाथ काले			1.3100	
		हंगरगा तुल						
५	22.07.21	हंगरगा तुल	तुलजापूर	गणेश माणिकराव हंगरगेकर	33/1	1	2.4600	2.6335
				कुमार हरीचंद्र हंगरगेकर	33/2		2.4600	
				सतीश मनोहराव हंगरगेकर	33/3		1.8200	
				अजित सतिश हंगरगेकर			2.0000	
		मोरडा						
६	22.07.21	मोरडा	तुलजापूर	किसन भिमराव चव्हाण	144	1	0.8100	0.9877
				शिलाबाई माणिक चव्हाण			0.8100	
				शाहूराज माणिक चव्हाण				
				अलका संजय राठोड			0.9150	
				अंबादास वसंतराव चव्हाण सरस्वतीबाई वसंतराव चव्हाण योगेश वसंतराव चव्हाण			0.8100	
				चि. विवेक संजय राठोड			0.9150	
				मे. रिन्यू वायु ऊर्जा प्रा.लि			1.6000	
७	22.07.21	मोरडा	तुलजापूर	किसन भिमराव चव्हाण	145	1	2.0700	1.0345

तालिका-C (सही विवरण)								
अ.नं.	भू संपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वे न.	भू धारणा पद्धति	7/12 अनुसार कुलक्षेत्र (हे.आर./चौ.मी.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर./चौ.मी.)
				शिलाबाई माणिक चव्हाण शाहूराज माणिक चव्हाण सर्जेराव भिमराव चव्हाण			2.0700 2.0600 2.0700	

[फा. सं. AQ/SUR-TJP-UMD/SPL/2023/Jan/20A/शुद्धिपत्र-240858]

मनोज शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(CENTRAL RAILWAY)

CORRIGENDUM

Mumbai, the 19th January, 2023

(IN REGARD TO E-GAZETTE NOTIFICATION NO. 240858 DATED 05.12.2022, THE INCORRECT DETAILS MENTIONED IN THE TABLE-B WILL BE SUPERCEDED BY THE CORRECTED DETAILS MENTIONED IN THE TABLE-D)

S.O. 335(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **Solapur – Tuljapur – Osmanabad New Line** in the district of **Osmanabad** in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, **Sub Divisional Officer Tuljapur Taluka, District Osmanabad**, Maharashtra in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project Solapur – Tuljapur – Osmanabad New Line in Osmanabad District is as under:

Table-B (Incorrect Details)								
Sr. No	Land Acquisition Case No	Village Name	Taluka	Name of Landholder as per 7/12	Gat no.	Land holding method	Total area as per 7/12 (H.R/Sq.m.)	Acquisition area (H.R./Sqm.)
11	22.07.21	Suratgaon	Tuljapur	Abhimanyu Nagnath Kale	125	1	1.3400	0.5071
		Suratgaon		Balkrishna Nagnath Kale			1.3400	
		Suratgaon		Brahmananda Nagnath Kale			1.3300	
5	22.07.21	Hangarga Tul	Tuljapur	Ganesh Manikrao Hungergekar	33/1	1	2.4600	2.6335
		Hangarga Tul		Kumar Harichandra Hungergekar	33/2		2.4600	
		Hangarga Tul		Satish Manohrav Hungergekar	33/3		1.8200	
		Hangarga Tul		Ajit Satish Hungergekar				

Table-D (Correct Details)								
Sr. No	Land Acquisition Case No	Village Name	Taluka	Name of Landholder as per 7/12	Gat no.	Land holding method	Total area as per 7/12 (H.R/Sq.m.)	Acquisition area (H.R./Sqm.)
11	22.07.21	Suratgaon	Tuljapur	Abhimanyu Nagnath Kale	125	1	1.3100	0.5071
		Suratgaon		Balkrishna Nagnath Kale			1.3100	
		Suratgaon		Brahmananda Nagnath Kale			1.3100	
5	22.07.21	Hangarga Tul	Tuljapur	Ganesh Manikrao Hungergekar	33/1	1	2.4600	2.6335
		Hangarga Tul		Kumar Harichandra Hungergekar	33/2		2.4600	
		Hangarga Tul		Satish Manohrav Hungergekar	33/3		1.8200	
		Hangarga Tul		Ajit Satish Hungergekar			2.0000	

[F. No. AQ/SUR-TJP-UMD/SPL/2023/Jan/20A/Corrigendum-240858]

MANOJ SHARMA, Chief Administrative Officer (Construction)